



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00063
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/25/00036/1
अपीलकर्ता श्री रमेश चंद्र पंवार

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.01.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	17.01.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.02.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बिजेंद्र कुमार CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.02.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.02.2025
निर्णय की तारीख	21.03.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.01.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

S.No.	चाही गई सूचना
1.	सूचना आयोग में शिकायतों कि सुनवाई के लिए "पूर्व निर्धारित प्रक्रिया विधि" की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे। RTI Act Sec 19 (10) The Central Informaiton Commission or State Inforamtion Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.

2.	शिकायत संख्या CIC/RBIND/C/2023/136573 सुनवाई दिनांक 18.12.2024 में सुनवाई के लिए "आयोग द्वारा प्रयोग में ली गई प्रक्रिया विधि" की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे।
----	--

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बिजेंद्र कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 14.02.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

बिंदु सं	प्रदान की गई सूचना
2.	The procedure followed in the decision – making Process is uploaded on Commisisions website, and you can find at https://cic.gov.in/sites/default/files/RTI%20Disclosure/Final%20Section-4%281%29%28b%28iii%29pdf

3. प्रथम अपील का आधार

“अपीलकर्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।”(फाइल में सलग्न है)

4. निर्णय

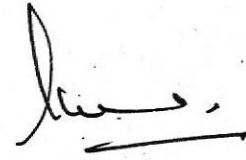
आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00036 के प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार, केवल वही जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, मौजूदा है या अंतर्गत है, वही जानकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से ऐसी जानकारी बनाने, एकत्र करने या व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो रिकॉर्ड का

हिस्सा नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 21.03.2025



रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

Sw
21/3/25

